



## प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) / अल्पकालिक कौशल केंद्र

### यह संस्थान क्या है

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत एक ब्रांडेड प्रशिक्षण केंद्र है, जो सहायक इलेक्ट्रीशियन, स्वरोजगार दर्जी, खुदरा विक्रय सहयोगी, अथवा डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी व्यावसायिक भूमिकाओं में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण – सामान्यतः 300 से 600 घंटे – प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। सरकार किसी निजी प्रशिक्षण साझेदार को केंद्र चलाने, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने, उन्हें SSC (सेक्टर स्किल काउंसिल) से प्रमाणित कराने, और प्लेसमेंट में सहायता देने के लिए भुगतान करती है। PMKK सरकारी कार्यालय नहीं हैं – ये NSDC (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) के माध्यम से अनुबंधित निजी कंपनियों द्वारा संचालित होते हैं।

#### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप कोई निःशुल्क अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम चाहते हैं जिसमें मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र और प्लेसमेंट सहायता दोनों मिलें, तो PMKK केंद्र ठीक यही प्रदान करते हैं। आप कुछ नहीं चुकाते – इसकी पुष्टि अवश्य करें, क्योंकि प्रशिक्षण निःशुल्क होना अनिवार्य है।

### अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0	समग्र स्किल इंडिया कार्यक्रम (SIP) का केंद्रीय क्षेत्रक घटक, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 फरवरी 2025 को अनुमोदित; SIP में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) भी शामिल हैं; 2025-26 तक कुल परिव्यय ₹8,800 करोड़
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)	सभी PMKVY पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के स्तरों से संरेखित
PMKVY 4.0 सामान्य लागत मानदंड	प्रति-प्रशिक्षु वित्त-पोषण, केंद्र मानक, और दायित्व

- **केंद्र:** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) → NSDC (कार्यान्वयन) → सेक्टर स्किल काउंसिल (पाठ्यक्रम और मूल्यांकन)
- **राष्ट्रीय नियामक:** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) – व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की समग्र नियामक; पुरस्कार-प्रदाता निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों तथा कौशल-संबंधी सूचना प्रदाताओं को मान्यता देती है और नियंत्रित करती है (इनमें वे सेक्टर स्किल काउंसिल भी हैं जो PMKVY प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं)
- **राज्य:** राज्य कौशल विकास मिशन (समन्वय)
- **जिला:** जिला कौशल समिति, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं – सदस्यों में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र (DIC) महाप्रबंधक, जिला कौशल विकास मिशन अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, तथा नागरिक-समाज प्रतिनिधि शामिल हैं; तिमाही आधार पर जिला-स्तरीय PMKVY प्रदर्शन की समीक्षा करती है और स्थानीय बैच एवं भूमिका-चयन को दिशा देती है
- **संस्थान:** केंद्र प्रमुख (प्रशिक्षण साझेदार द्वारा नियोजित)
- **स्वतंत्र मूल्यांकन:** SSC-पैनल में शामिल मूल्यांकनकर्ता सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन करते हैं; मूल्यांकनकर्ता की भूमिका प्रशिक्षक की भूमिका से अलग होती है
- **वित्त-पोषण:** NSDC के माध्यम से 100% केंद्रीय



## मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
केंद्र प्रमुख / केंद्र प्रबंधक	संचालन, बैच कार्यक्रम, प्रशिक्षक पर्यवेक्षण, अनुपालन
प्रशिक्षक	प्रति व्यावसायिक भूमिका एक; उद्योग अनुभव और संबंधित SSC से ToT (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) प्रमाणन होना चाहिए
प्लेसमेंट समन्वयक	प्रमाणन के बाद प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियोक्ताओं से जोड़ता है
मोबिलाइजेशन समन्वयक	प्रशिक्षुओं की खोज और नामांकन

## अनिवार्य सेवाएँ

- विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं में 300-600 घंटों के NSQF-संरेखित निःशुल्क पाठ्यक्रम संचालित करना
- आधार-लिंकड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करना
- स्वतंत्र SSC-पैनल मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन को सुगम बनाना; उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को SSC प्रमाण पत्र मिलता है
- प्लेसमेंट सहायता देना। (PMKVY 1.0-3.0 में सरकारी भुगतान प्रशिक्षण प्रदाताओं को अभ्यर्थी प्लेसमेंट परिणामों से जोड़े गए थे; PMKVY 4.0 में भुगतान को प्लेसमेंट से अलग कर दिया गया है, जिससे प्रदाताओं को प्लेसमेंट की स्थिति की परवाह किए बिना प्रमाणित, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए भुगतान मिलता है। मूल्यांकन-पात्रता सीमा के रूप में 70% बायोमेट्रिक उपस्थिति की शर्त बनी हुई है।)
- रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल – कार्यस्थल सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, और संचार – शामिल करना
- PMKVY 4.0 अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) के अंतर्गत OJT (कार्य-स्थल प्रशिक्षण) अनिवार्य है; आरंभ और समाप्ति विवरण (अवधि, उपस्थिति, प्रमाण पत्र) Skill India Digital (SID) पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। गैर-अनुपालन पर PMKVY 4.0 अनुलग्नक V गंभीरता मैट्रिक्स के अनुसार ग्रेडेड दंड लगते हैं।
- प्रत्येक अल्पकालिक प्रशिक्षण और विशेष परियोजना अभ्यर्थी की प्रमाणन-उपरांत एक वर्ष तक ट्रेकिंग होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ट्रेकिंग केंद्रीय रूप से चलाता है – SID प्रोफाइल, ऐप-आधारित ट्रेकिंग, WhatsApp/चैटबॉट, और प्रति वर्ष एक अनिवार्य तिमाही कॉल (कुल चार कॉल) के माध्यम से। PMKK प्रशिक्षण के दौरान SID में अपस्ट्रीम डेटा (उपस्थिति, OJT प्रमाण पत्र, मूल्यांकन अपलोड) फीड करते हैं; प्रमाणन-उपरांत चरण NSDC-प्रबंधित होता है।

## संबद्ध योजनाएँ

- PMKVY 4.0** – युवाओं के लिए निःशुल्क अल्पकालिक प्रशिक्षण और प्रमाणन
- PMKVY RPL (पूर्व अधिगम की मान्यता)** – अनौपचारिक रूप से कुशल कामगारों के लिए प्रमाणन
- प्रधानमंत्री MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी) योजना** – प्रशिक्षण के बाद स्व-रोजगार अभ्यर्थियों के लिए सूक्ष्म-उद्यम ऋण
- जिला कौशल विकास योजना** – स्थानीय कौशल-अंतर विश्लेषण जो पाठ्यक्रम-चयन को दिशा देता है

## कैसे हूँ

**पोर्टल:** [skillindiadigital.gov.in](http://skillindiadigital.gov.in) – सक्रिय केंद्रों और बैच स्थिति के लिए राज्य, जिला और क्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र खोजें

**इसके अलावा:** अपने क्षेत्र के केंद्रों की जानकारी के लिए स्किल इंडिया हेल्पलाइन 1800-309-1920 पर कॉल करें; या जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला कौशल समिति से संपर्क करें

## मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील PMKK में होना चाहिए: प्रोजेक्टर एवं बैठने की व्यवस्था वाली कक्षाएँ, ट्रेड-विशिष्ट औजार और सामग्री वाली व्यावहारिक प्रशिक्षण लैब, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति टर्मिनल, इंटरनेट सहित कंप्यूटर, स्किल इंडिया / PMKVY साइनेज, CCTV (क्लोउड-सर्कित टेलीविजन), पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग कार्यशील शौचालय, तथा वर्तमान बैच विवरण और पिछले बैच परिणाम दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड।



## एक क्रियाशील PMKK कैसा दिखता है

- कक्षा-घंटों के दौरान प्रशिक्षु अपनी सीटों पर हैं और प्रशिक्षक पढ़ा रहा है
- बायोमेट्रिक उपस्थिति उपकरण उपस्थित, कार्यशील, और दैनिक उपयोग में है
- नामांकन के लिए किसी प्रशिक्षु से कोई शुल्क नहीं मांगा गया
- प्रशिक्षक संबंधित SSC से ToT प्रमाणन रखते हैं
- पिछले पूर्ण बैच के प्लेसमेंट डेटा सत्यापन-योग्य संपर्क विवरण सहित उपलब्ध हैं
- पाठ्यक्रम उपकरण SSC के मॉडल पाठ्यक्रम से मेल खाते हैं

## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु केंद्र प्रमुख / केंद्र प्रबंधक है। शुल्क-वसूली (प्रशिक्षण निःशुल्क होना चाहिए), अयोग्य प्रशिक्षक, गैर-कार्यशील बायोमेट्रिक उपस्थिति, अथवा प्लेसमेंट के वादों जैसे मामले पहले यहीं उठाए जाते हैं।

**सेवा के बाद।** मामला प्रशिक्षण साझेदार के क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल, राज्य कौशल विकास मिशन, और जिला कौशल समिति (अध्यक्षता: जिलाधिकारी) तक बढ़ाया जाता है।

**बाहरी।** NSDC और MSDE [skillindiadigital.gov.in](http://skillindiadigital.gov.in) पर तथा 1800-123-9626 / 1800-102-6000 पर स्किल इंडिया हेल्पलाइन के माध्यम से एक समर्पित शिकायत चैनल चलाते हैं। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, [pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) मंत्रालय-स्तरीय शिकायतों को संभालती है। SSC-विशिष्ट शिकायतें (मूल्यांकनकर्ता आचरण, प्रमाणन मुद्दे) संबंधित SSC की वेबसाइट पर जाती हैं।